# फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

कुम्भा ...... बनाम ...... गोरखाराम वगै०

किस्म मुकदमा राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 01/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 7/01/25 | प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री श्रीराम विश्नोई यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/02/25 को पेश हो । | |
| 12/02/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी स्वयं उप.। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावे। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विड्रो करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में हमारे गांव के मौजिज लोगों के आपसी समझाइस [illegible] है इसलिए हम उक्त प्रकरण को आगे नहीं [illegible] है तथा उक्त राजस्व वाद [illegible] फरमाया जावे। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को [illegible] यथास्थिति में स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान के वाद को जरिये राजीनामा विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला से कम हो। | के आरख (वादी) वकील वादी |

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested